NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH
Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 113/NCRES/20 Date : 05.06.2020

श्रीमान प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषयः— कोविड—19 के तेजी से फैलते संक्रमण को रोकने के लिये NCR के प्रधान कार्यालय द्वारा जारी दिशा—निर्देश दिनांक 19.04.2020 के अनुसार सभी विभागों में 33% कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना।

सन्दर्भः— (i) DOPT पत्र सं. 11013/9/2014 – Estt A. III दिनांक 18.05.2020
(ii) गृह मंत्रालय पत्र सं. 40—3/2020-DM-I (A) दिनांक 30.05.2020
(iii) स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग का पत्र स. 228015/17/2020— Estt I दिनांक 03.06.2020
(iv) NCR HQ पत्र सं. 797— E/Policy/2020/Misc/Covid 19 दिनांक 19.04.2020.

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में खेद के साथ अवगत कराना है कि कोविड—19 के संक्रमण के खतरे के बावजूद नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के विभिन्न कार्यालयों, वर्कशाप, C&W शेड, इन्जीनियरिंग ट्रैकमैन, लोको शेड आदि में 100% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ पूर्व की भांति कार्य शुरू करा दिया गया है। इस कारण कार्य क्षेत्र में कर्मचारी चाह कर भी शोशल डिस्टेन्सिंग का पालन नही कर पा रहा है।

प्रधान कार्यालय, मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालयों सहित अन्य कार्यालय में तो एक फीट के अन्तर पर कुर्सियां लगा कर कार्य कराया जा रहा है। इस प्रकार नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के विभिन्न वर्कशाप/शेडों के कर्मचारी और ट्रैकमैन, समूह में कार्य करने को मजबूर है जिसके कारण सभी कर्मचारी दहशत में कार्य कर रहे है।

NCRES का मानना है कि ऐसे माहौल में यदि किसी को भी कोरोना संक्रमण हो गया तो सभी कर्मचारियों को क्वारन्टाईन करना पड़ेगा एवं कार्यालय/वर्कशाप को बंद करने के अतिरिक्त अन्य विकल्प शेष नही होगा।

यह भी बताना आवश्यक है कि NCR हेडक्वाटर द्वारा दिनांक 19.04.2020 को जारी गाइड लाइन अनुसार विभिन्न कार्यालयों, वर्कशाप/शेडों S&T, Engg, C&W, OHE, OPTG, Electrical

आदि कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति 33% कर दिया गया था। यहां महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लाकडाऊन के पश्चात दिनांक 30.05.2020 को गृह मंत्रालय द्वारा अनलाक–1 की गाइड लाइन जारी की गई, इसके बाद स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग ने दिनांक 03.06.2020 को पत्र जारी कर DOPT की गाइड लाइन दिनांक 18.05.2020 को लागू करने की बात कह कर 50% कर्मचारियों को बुलाने एवं Work From Home कराने की बात करने से और हेडक्वाटर द्वारा दिनांक 19.04.2020 के बाद कोई गाइड लाइन जारी न किये जाने के कारण सभी के बीच भ्रम का वातावरण बना हुआ है।

इस सम्बन्ध में यह भी गौर करने की बात है कि हेडक्वाटर एवं मण्डलों एवं अन्य यूनिटों में प्रशासनिक स्तर से COS एवं सुपरवाइजरों को मौखिक आदेश देकर कर्मचारियों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराया जा रहा है जिससे कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ गया है एवं कर्मचारियों में भी डर का माहौल है।

अतः आप से अनुरोध है कि Covid-19 के विश्वव्यापी महामारी के समय NCR हेडक्वाटर द्वारा सभी कार्यालयों, वर्कशाप, C&W, Engg., S&T, OPTG., Electrical आदि विभागों में 33% से ज्यादा उपस्थिति न करने हेतु पुनः आदेश जारी करने का कष्ट करें ताकि कर्मचारियों में फैल रहे असंतोष को दूर किया जा सके।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री